



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:-एफ 37(31)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था.पद./05/21 /2410

जयपुर दिनांक 09.09.2022

::आदेश ::

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	कहा से	कहा को
1.	महेन्द्र कुमार	पं.स. फलौदी जिला जोधपुर	पं.स. बाली जिला पाली
2.	सुनीता देवी	पं.स. नादौती जिला करौली	पं.स. मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
3.	नंद किशोर	पं.स.बानसूर, अलवर	पं.स. नीमराना, अलवर
4.	ख्याली राम	पं.स. नीमराना, अलवर	पं.स. बानसूर, अलवर
5.	मन्दोरी देवी	पं.सं. राजगढ, अलवर	पं.स. निवाई, टोंक
6.	भंवर गोस्वामी	जिला परिषद करौली	पं.स. सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
- 5- उक्त सूची में यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवगठित पंचायत समिति में करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु नवगठित पंचायत समिति के प्रधान/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न नहीं हुए है तो उन पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे।

(**डॉ. रौनक बैरागी**)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-1

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्राविपंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वावत।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बन्धित।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
9. सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, द्वारा जिला परिषद/पं.स.।
10. रक्षित पत्रावली।

(**डॉ. रौनक बैरागी**)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-1